

2016/08096

न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपरु

प्रकरण संख्या : 68/2016

बमुक0 दिनेशसिंह बनाम दुर्गसिंह बगैरा

दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 अधि0

29.09.2016 दावा बाद जांच कार्यालय से पेश हुआ । वकील वादी
उपस्थित । वकील वादी को सुना । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे ।
प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक
23.11.2016 को पेश हो ।

23/11/16 पत्रावली पेश । पोसाहब का स्थानान्तरण हो चुका है
पत्रावली दिनांक 2-2-17 को पेश हो

2-2-17 वकील वादी उप0 । पोसाहब जन सुनवाई में पधारें
है पत्रावली पूर्वकल दिनांक 15-3-17 को पेश हो


15/3/17 वकील वादी उप0 । पोसाहब दोरे पर पधारें है
पत्रावली पूर्वकल दिनांक 23/4/17 को पेश हो

19/6/17 आज यह पत्रावली राजस्व कोठ अदालत/
कैम्प कोर्ट के अदालत सेवा केन्द्र लखनऊ
पर पेश हुई । वकील वादी तथा प्रतिवादीगण

[Signature]

उपरि-ग्राम। न्यायाधीश में विवादित आराजी का मौखिक
देखा गया तथा। पचावली पर एवं शामिल में उपस्थित
रिपोर्ट का अवलोकन किया। विवादित आराजी घर वादी
का बच्चा नहीं है अतः दाना वादी स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय सुपुत्र से लिखा जाकर शामिल किया
किया गया। पचावली केसल कुमार होकर दाखिल दफ्तरे

5/11/20
राजस्थान


उपखण्ड अधिकारी सैफुल
(पाठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत